अनुदान संख्या 18 – कारपोरेट कार्य मंत्रालय
GRANT No. 18–MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	189,62,00		1,99,05,00	182,26,36	–16,78,64
पूरक	Supplementary	9,43,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					11,51,32
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	40,00,00		41,00,00	40,89,01	–10,99
पूरक	Supplementary	1,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (1678.64 लाख रु.) दिसम्बर, 2009 में प्राप्त किए गए 943.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 8 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.1678.64 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.943.00 lakhs obtained in December, 2009 and constituted 8 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	8010.00	9613.21	9302.99	–310.22
पू.	S.	943.00			
पु.	R.	660.21			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	10952.00	9140.47	8923.37	–217.10
पु.	R.	–1811.53			

(I) मुख्य शीर्ष ''3475'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार प्रणालियों का विनियमन - एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार प्रणाली आयोग'' - 303.80 लाख रु. की बचत (651.38 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 14.10.2009 से एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार प्रणाली आयोग को समाप्त किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''संयुक्त स्टाक कम्पनियों का विनियमन'' -

(क) ''कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार'' - 578.77 लाख रु. की बचत (3842.29 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''कंपनी अधिनियम के अधीन आधिकारिक परिसमापक'' - 432.38 लाख रु. की बचत (1719.08 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, कोचीन से किराया भाड़ा प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''अन्य व्यय'' -

(I) Under Major Head "3475" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Regulation of Monopolies and Restrictive Trade Practices – Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission" – saving of Rs.303.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.651.38 lakhs) was due to dissolution of the Monopolistic and Restrictive Trade Practices Commission with effect from 14.10.2009.

(B) "Regulation of Joint Stock Companies" –

(a) "Registrar of Companies under Companies Act" – saving of Rs.578.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3842.29 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(b) "Official Liquidator under Companies Act" – saving of Rs.432.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1719.08 lakhs) was due to non-receipt of fair rent certificate from Central Public Works Department, Cochin and economy measures.

(C) "Other Expenditure" –

(क) ''भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग'' - 400.00 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''प्रतिस्पर्द्धा अपीली अधिकरण'' - 241.76 लाख रु. की बचत (412.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुईं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - कोरपोरेट कार्य मंत्रालय'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 349.99 लाख रु. का अधिक व्यय (943.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 8953.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण और विभिन्न फील्ड कार्यालयों की नेटवर्किंग के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 58.86 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (10.99 लाख रु.) दिसंबर, 2009 में प्राप्त किए गए 100.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 11 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का आधा प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई-

(a) "Competition Commission of India (CCI)" – saving of Rs.400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs); and

(b) "Competition Appellate Tribunal (CAT)" – saving of Rs.241.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.412.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts.

2.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Corporate Affairs" – excess of Rs.349.99 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.8953.00 lakhs including supplementary grant of Rs.943.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, modernization, computerization and networking of various field offices.

(II) Under one head excess of Rs.58.86 lakhs occurred constituting 18 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.10.99 lakhs) constituted 11 percent of the supplementary grant of Rs.100.00 lakhs obtained in December, 2009 and half percent of the total sanctioned provision.

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''5475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	4000.00	4100.00	4089.01	–10.99
पू.	S.	100.00			

(I) "अन्य व्यय - भारतीय कोरपोरेट कार्य संस्थान'' के अंतर्गत 3000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3100.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 100.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) इस शीर्ष के अंतर्गत गलती से पूरक अनुदान प्राप्त होने के कारण हुई।

(I) Under "Other Expenditure - Indian Institute of Corporate Affairs (IICA)" – the original provision of Rs.3000.00 lakhs was augmented to Rs.3100.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.100.00 lakhs (including supplementary grant) - due to inadvertent obtaining of supplementary grant under this head.